(3)

न्यायालय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश केन्द्र ग्वालियर

निग-3290-PBR/16

प्रकरण क्रमांक /2016 निगरानी

श्री दिनेश व्यास अभि० द्वारा उज्जैन केन्द्र पर प्रस्तुत। 23-9-16

गीताबाई पिता श्री जानकीदास बैरागी,
निवासी–ग्राम मीण तह. खाचरौद जिला उज्जैन

............आवेदक

विरूद्ध

– चम्पादास पिता भैरूदास,
निवासी–ग्राम रूनखेड़ा तह. खाचरौद जिला उज्जैन

..........अनावेदकगण

23.9.16

पुनर्निरिक्षण आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 50 भू राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

आवेदक अधीनस्थ योग्य न्यायालय अपर आयुक्त उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 711/15–16 मे पारित आदेश दिनांक 20/09/16 से असंतुष्ट एवं दुखी होकर निम्न कारणों के आधार पर पुर्नरिक्षण आवेदन अंदर अवधि प्रस्तुत करता है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3290–पीबीआर / 16 जिला–उज्जैन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6–12–16	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–9–2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा यह निष्कर्ष निकालते हुये कि कमलाबाई की मृत्यु के उपरांत उसकी बहन गीताबाई का नामान्तरण नियमों के विपरीत किये जाने के कारण स्थगन आवेदन निरस्त किया गया है, जिसमें प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	